नेशनल पीपुल्स ट्रिब्युनल ऑन क्लाइमेट चेंज

16 नवंबर 2010, नई दिल्ली

जलवायु परिवर्तन संबंधी कानूनों पर वैधानिक ढांचे की कमी के बावजूद विभिन्न देशों की अदालतों में कार्यवाहियों की बढ़ती संख्या यह साबित करती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लोगों की सुरक्षा हेतु सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय पर्यावरण संबंधी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पर्याप्त प्रावधान हैं। इन कार्यवाहियों में सर्वाधिक चर्चित मामला इनुइत मामला है जहां कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा के देशज लोगों ने अमेरिकी मानवाधिकार आयोग में कार्यवाही के लिए पहल की। दाखिल याचिका में अमेरिका द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के कारण वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप इनुइत के मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राहत मांगी गई। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसी प्रकार के कई अन्य प्रयास करणीय साक्ष्यों के अभाव में शायद सफल न हो सकें परंतु वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का कानूनी निवारण प्राप्त करने के लिए एक बढ़ती हुई सार्वजनिक व कानूनी राय प्रदर्शित करते हैं। यह इस बात का परिचायक है कि यद्यपि विश्व के राजनेता व सरकारें जलवायु परिवर्तन को रोकने में कोई गंभीर प्रयास करने में अक्षम हैं तथापि विभिन्न देशों में लोग कई स्तरों पर सरकारों व ग़ैर-सरकारी कंपनियों को उत्सर्जन रोकने और जलवायु परिवर्तन से हो रहे परिणामों को संबोधित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में यह वांछनीय है कि इस प्रकार के और अधिक प्रयास न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक व जनता के मंच पर लाए जाऐं।

यह नेशनल पीपुल्स ट्रिब्युनल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लोगों की सुरक्षा और प्रभावों में कमी हेतु राज्य की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों को तलाशने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त यह विकसित देशों को स्पष्ट और न्यायोचित जलवायु संधि के लिए एक मजबूत संदेश भी प्रेषित करेगा।

पृष्ठभूमि और संदर्भ : ट्रिब्युनल की आवश्यकता क्यों ?

जबकि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का अंतिम निष्कर्ष अभी भी बहस के दायरे में है, जलवायु परिवर्तन के परिणामों ने विकासशील, अल्प-विकसित और अतिसंवेदनशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करना प्रारंभ भी कर दिया है। तुवालू की सरकार जलवायु परिवर्तन प्रभावों के कारण उत्पन्न जलप्लावन से अपनी पूरी जनता को बचाने के लिए पुनर्स्थापन का स्थान तलाश रही है साथ ही मुआवज़े का दावा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया व अन्य विकसित देशों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही पर भी विचार कर रही है। विकासशील देशों में वर्षा चक्र में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती हुई आवृत्ति लोगों के अधिकारों, जैसे कि जीवन का अधिकार, को प्रभावित कर रही है जिसके लिए राज्य या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही दिखाई नहीं देती। जलवायु परिवर्तन की प्रमुख विधिक संरचना होने के बावजूद यूएनएफसीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल भी जलवायु परिवर्तन प्रभावों से जनता की सुरक्षा के लिए विकसित और विकासशील देशों के प्रति कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता प्रदान नहीं करते। इस संदर्भ में कानूनी अधिकारों का पूर्णतः अभाव है, यहां तक कि देशों की राष्ट्रीय व घरेलू संरचनाओं का भी। इन संरचनाओं का अभाव विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जवाबदेही लेने के संदर्भ में उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।

हालांकि कानूनी संरचनाओं की कमी के बावजूद विभिन्न देशों की अदालतों में राष्ट्रीय सरकारों, विदेशी सरकारों, यहां तक कि ग़ैर-सरकारी कंपनियों के ख़िलाफ़ भी जलवायु परिवर्तन के दायरे में कार्यवाहियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन कानूनी कार्यवाहियों का उद्देश्य सरकारों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए विवश करना है साथ ही राज्य, बाहरी देशों और ग़ैर-राज्य कर्ताओं की अनदेखी, उनके द्वारा किये जा रहे विनाश, प्रभावों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी और अधिकारों के

उल्लंघन पर नियंत्रण को तलाशना भी है। एक बड़े मामले में कैटरीना तूफान के पीड़ितों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तीव्र करने के लिए जवाबदेह ठहराते हुए रसायन उत्पादकों और कोयला व तेल कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। Mss. Vs. EPA में संयुक्त राज्य की एक अदालत ने EPA के ख़िलाफ़ कार्यवाही की और कहा कि ''मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों और वैश्विक तपन के बीच निश्चित संबंध और जलवायु परिवर्तन से जुड़े नुक़सान ठीक ढंग से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं।'' कनाडा में फ्रेण्ड्स ऑफ अर्थ कनाडा ने कनाडा सरकार के ख़िलाफ़ क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दर्शायी गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को त्यागने के लिए एक उल्लेखनीय मुकदमा प्रारंभ किया है। कनाडा की अग्रणी पर्यावरणिक न्याय संस्था 'सिएरा लीगल' द्वारा ओटावा के संघीय न्यायालय में दाख़िल यह मुकदमा आरोप लगाता है कि संघीय सरकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए व्यक्त की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में असफल रही है और इसके द्वारा वह कनाडा के कानून का उल्लंघन कर रही है। अर्जेन्टीना में 2003 में आई बाढ़, जिसमें कई लोग मारे गए और लाखों की तादाद में जान-माल की हानि हुई, के बाद जलवायु अनुकूलन की आधिकारिक विफलता को प्रकट करने के लिए नागरिकों ने यूएनएफसीसीसी की धारा 6 का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। नाइजीरिया में नाइजर डेल्टा क्षेत्र के समुदाय नाइजीरिया की सरकार और बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों (शैल, एक्ज़ॉन, एजिप, शेवरॉन आदि) पर पिछले 40 वर्षों से निरंतर गैसों के जलने को लेकर मुकदमा चला रहे हैं।

अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन से संबंधित तकरीबन 250 मामले संयुक्त राज्य की विभिन्न अदालतों में दाख़िल हैं। यद्यपि अभी भी राज्य के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही में कारण-कार्य संबंध के निर्धारण और आरोपण की बाधा है फिर भी कानूनी कार्यवाहियों की बढ़ती हुई संख्या यह स्पष्ट करती है कि कुछ प्रावधान हैं जिन्हें कि राज्य की निष्क्रियता समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन को अनिवार्य नीति के रूप में पहचानने और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के कारण हो रहे अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने हेतु पहल करने के लिए राज्य के विरूद्ध लागू किया जा सकता है।

ट्रिब्यूनल का प्रयोजन

देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यून कानूनी संरचनाओं के दृष्टिकोण से यह ट्रिब्युनल मौजूदा कानूनी प्रावधानों के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रति राज्य की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह ट्रिब्युनल जहां जलवायु संकट को गंभीर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका के आधार पर विकसित देशों से सहायता प्राप्त करने के विकासशील देशों के अधिकारों पर जोर देगा वहीं यह राष्ट्रीय संरचना में लोगों के महत्वपूर्ण अधिकारों की बहाली के लिए कानून और मौजूदा कानूनी प्रावधानों को लागू व उपयोग किये जाने की संभावना पर भी गौर करेगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर एक बेहतर कानूनी और नियामक तंत्र की पैरवी भी करेगा।

ट्रिब्युनल के उद्देश्य

- सूखा व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि व खाद्य सुरक्षा, आजीविका और पलायन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साक्ष्यों का संकलन
- कृषि व खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समुदाय आधारित अनुकूलन तकनीकों को खोजना और शमन की बेहतर पद्धतियों को साझा करना
- जलवायु परिवर्तन और अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए राज्य व ग़ैर-राज्य कर्ताओं की जवाबदेही उत्पन्न करना और यह साबित करने में अपना योगदान देना कि राज्य और ग़ैर-राज्य कर्ताओं को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं

- जलवायु परिवर्तन संकट के शमन हेतु गंभीर कदम उठाने और सभी की, ख़ासकर अतिसंवेदनशील वर्ग की, अनुकूलन आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान हेतु प्रमुख राष्ट्रीय/राज्य एजेंसियों पर दबाव बढ़ाना
- खाद्य सुरक्षा, आजीविका और विस्थापन पर जलवायु संकट के गंभीर प्रभावों को संबोधित करने में विकसित देशों और बहुपक्षीय संस्थानों की ज़िम्मेदारी व जवाबदेही का मूल्यांकन
- जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में कृषि व खाद्य सुरक्षा पर और अधिक जोर देने और जल्द से जल्द एक न्यायोचित करार प्रतिपादित करने के लिए वैश्विक प्रतिनिधियों पर दबाव बढ़ाना

कौन होगा ट्रिब्युनल का हिस्सा

जलवायु परिवर्तन के पीड़ित, नागर समाज संस्थाऐं, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, मीडिया, न्यायपालिका के सदस्य और अधिवक्ता तथा सरकारी/कार्यवाहक पदाधिकारी इस ट्रिब्युनल का हिस्सा होंगे जो कि ट्रिब्युनल के समक्ष लिखित, मौखिक और दृश्य-श्रृव्य साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। पीड़ित मुख्यतः वर्षा आधारित (शुष्क व अर्द्ध-शुष्क) और बाढ़ प्रभावित राज्यों से होंगे।

ज्यूरी

ज्यूरी जलवायु परिवर्तन विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर कानून, कृषि व खाद्य सुरक्षा, जेण्डर, समाज कार्य, शासकीय सेवा (कार्यपालिका), नीति-नियोजन के क्षेत्र में व्यापक अनुभवी लोगों और जन-प्रतिनिधियों को समाहित कर निर्मित होगी।

ट्रिब्युनल के परिणाम

ट्रिब्युनल नागरिक समाज, प्रमुख नागर समाज संस्थाओं और मीडिया को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर संघटित करने में सहायक होगा और जलवायु परिवर्तन प्रभावों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य सरकारों, ग़ैर-सरकारी कंपनियों (कॉरपोरेट व बड़े व्यवसाय) पर दबाव बढ़ाएगा। साथ ही यह एक स्पष्ट और समुचित करार के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (कॉप) पर भी दबाव बनाएगा। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन पर राज्य और कंपनियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहियों में वृद्धि भी इस ट्रिब्युनल के प्रमुख परिणाम के रूप में देखी जा रही है।

ट्रिब्युनल क्या हासिल करेगा

ट्रिब्युनल एक वाद-विवाद परक अदालत के सदृश होगा जिसमें विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रतिकार करने में विकसित देशों की ज़िम्मेदारी व जवाबदेही का पता लगाने की दिशा में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर साक्ष्यों को सुना व अभिलिखित किया जाएगा। अभिलिखित साक्ष्यों और विशेषज्ञों के मत के आधार पर ट्रिब्युनल अपना निर्णय प्रतिपादित करेगा जिसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन ने किस प्रकार खाद्य सुरक्षा और आजीविका को प्रभावित किया है और किस प्रकार इसकी परिणति पलायन में वृद्धि के रूप में हुई है। साथ ही यह मूल्यांकन करेगा कि लोगों/पीड़ितों के क्या अधिकार प्रभावित हुए हैं और कानूनी संरचनाओं (भारत का संविधान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर कानून, लॉ ऑफ टॉर्ट और सामाजिक व राजनैतिक अधिकार, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, भेदभाव के विरूद्ध अधिकार संबंधी व अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्रों में व्यक्त की गई अपनी प्रतिबद्धता) के प्रकाश में राज्य को इन अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए निर्देशित करेगा। इसके अतिरिक्त यह राज्य को सामाजिक सुरक्षा तंत्र

और इसके क्रियान्वयन को बेहतर करने के लिए भी निर्देशित करेगा ताकि सबसे अधिक प्रभावित होने वाली जनता की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि हो सके।

निर्णय पर आगे क्या कार्यवाही होगी

केन्द्र सरकार के स्तर पर

रिपोर्ट, निर्णय और अनुशंसाऐं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर कानूनी और नियामक तंत्र को बेहतर करने के लिए आवश्यकताऐं, मिशन प्लान व जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना में सुधार, जलवायु परिवर्तन में खाद्य सुरक्षा व आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कृषि पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता आदि) संबंधित मंत्रालयों और कर्तव्य निर्वाहकों (कार्यपालिका) के समक्ष प्रस्तुत कर इस संदर्भ में उनका ध्यानाकर्षण किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट अनुशंसाओं पर मंत्रालयों का ध्यान और समुचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नज़दीकी निगरानी भी की जाएगी।

ट्रिब्युनल जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों पर कानूनी कार्यवाही की संभावनाऐं भी तलाश करेगा। यद्यपि इन कार्यवाहियों की सफलता अपर्याप्त कानूनी प्रावधानों, हानि के कारणों को स्थापित कर पाने वाले और प्रभावों के साक्ष्यों की अनुपस्थिति के कारण संदेहास्पद होगी तथापि यह निश्चित ही जनता, नीति-निर्धारकों, न्यायपालिका और मीडिया का और अधिक ध्यान आकर्षित करेंगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर कानूनी कार्यवाही को प्रोत्साहित करेंगी।

राज्य स्तर पर

ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट और निर्णय संबंधित राज्यों, जिनसे कि पीड़ित अपने अनुभव साझा करेंगे, की सरकार और कर्तव्य निर्वाहकों (कार्यपालिका) के ध्यान में लाई जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना के विकास और बेहतर क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों/शोध पर जोर देने संबंधी निर्णय और निर्देशों का संबंधित मंत्रालयों व अन्य हितभागियों के साथ मिलकर अवलोकन किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख भूमिका निभाने वाले

ट्रिब्युनल तालिका-1 में शामिल और अन्य प्रमुख देशों/जलवायु परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाने वालों के प्रतिनिधियों से भी अनुभव/गवाही-पत्र (Testimonies) आमंत्रित करेगा जिनके साथ जानकारी व अवलोकन कार्यवाही के लिए रिपोर्ट और निर्णय साझा किये जाऐंगे।

कॉप 16 में

ट्रिब्युनल की प्रक्रिया और निर्णय वैश्विक समुदाय के साथ भी प्रकाशन, दृश्य-श्रृव्य माध्यमों और साइड इवेंट्स के माध्यम से साझा किये जाऐंगे। ट्रिब्युनल से संबंधित प्रकाशनों का आयोजकों के स्टाल पर प्रदर्शन और वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय व वैश्विक मीडिया के साथ औपचारिक व अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से मीडिया का ध्यानाकर्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

ट्रिब्युनल की प्रक्रिया

निर्णायक समिति को नियुक्तिपूर्व लिखित साक्ष्य और सार्वजनिक व निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून, डीएएसआर, जलवायु परिवर्तन पर विधिक संरचना (यूएनएफसीसीसी व क्योटो प्रोटोकॉल) तथा देशज कानून व्यवस्था में राज्य की ज़िम्मेदारी पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ट्रिब्युनल, खाद्य सुरक्षा व आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साक्ष्यों, जो कि विशेषज्ञों के दल द्वारा सहयोगप्राप्त व पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे, को संकलित व अभिलिखित करेगा।